NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No. 111 / NCRES / 19 दिनांक 11.04.2019

श्रीमान प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद

विषयः— रेलवे बोर्ड के आदेशों के विरूद्ध विकोटिकृत लोको पायलटों को CC/TLC एवं CC/CRC जैसी टेन्योर पदों पर नियुक्ति करना।

सन्दर्भः— मास्टर सरकुलर संख्या 25— Absorption of medically De-Categorized Non Gazetted Staff.

महोदय,

अवगत कराना है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में चिकित्सा के आधार पर विकोटिकृत लोको पायलटों को स्क्रीनिंग के पश्चात CC/TLC एवं CC/CRC जैसे टेन्योर पदों पर पोस्ट किया गया जबकि रेलवे बोर्ड द्वारा जारी मास्टर सर्कुलर संख्या 25 Absorption of Medically De-Categorized Non Gazetted Staff के पैरा 6.8 में स्पष्ट है कि विकोटिकृत कर्मचारियों को रेगुलर कैडर के पदों पर पोस्ट किया जाना चाहिये न कि टेन्योर पदों पर— Quote "Medically De-Categorized Staff Should be absorbed in Suitable Alternative Posts in regular cadre only and not in Tenure Posts".

"संघ" को यह भी अवगत कराना है कि CC/TLC एवं CC/CRC ऐसे पद है जिसका न कोई कैडर है और न प्रमोशन चैनल है, ऐसे में तमाम ऐसे कर्मचारी जो ड्यूटी पर चोट लगने अथवा बीमारी के कारण अनफिट हुये है एवं जिनकी 25—30 साल की सर्विस बची है, उनको TLC/CRC के पदों पर पोस्टिंग करने से उनका भविष्य अन्धकारमय हो जायेगा।

यहां यह कहना भी अति आवश्यक होगा कि मास्टर सर्कुलर 25 के ही पैरा 6.2 के अनुसार रनिंग कैडर के विकोटीकृत कर्मचारियों के समावेश के लिये दी गयी 13 कैटेगिरी (संलग्न) में वरीयता दी जानी चाहिये परन्तु उनमें से किसी पर भी लोको पायलट को समावेश नही किया जा रहा है।

अतः संघ की मांग है कि CC/TLC एवं CC/CRC के पद पर नियुक्त किये गये विकोटीकृत लोको पायलटों को मास्टर सर्कुलर के पैरा 6.2 के अनुसार 13 कैटेगिरी (संलग्न) या उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुरूप किसी भी रेगुलर कैडर में पोस्ट करने हेतु उचित आदेश करने का कष्ट करे।

संलग्नः— यथावत

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

प्रतिलिपिः— प्रधान मुख्य विद्युत अभियन्ता, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद